राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 2(8)राज-1/2019 जयपुर, दिनांक : 22-5-19

संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Court
27-6-19

विषयः-अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के अध्यक्ष का कार्यग्रहण किये जाने के उपरान्त न्यायालय संभागीय आयुक्त में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के विरूद्ध दायर प्रकरणों में सुनवाई बाबत

सन्दर्भः-आपका पत्रांक प.3/कोर्ट/ए.डी.ए./3/17/3318 दिनांक 03.04.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 54 के अंतर्गत मुकदमों को अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को स्थानांतरित किया जा सकता है।

अतः प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 54 के तहत कार्यवाही कराने का श्रम करावें तथा साथ ही संदर्भित पत्र में उल्लेखित श्रेणी के मुकदमों की सुनवाई नहीं करने की राय प्रदत्त की जाती है।

भवदीय

(विष्णु कुमार गोयल)
संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

क्रमांक : प.3/कोर्ट/विविध/2019/ 132 दिनांक : 24/07/19

::: आदेश :::

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शिवशंकर हेडा द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प–1(32)नविवि//1984–पार्ट जयपुर दिनांक 31.12.2018 के द्वारा श्री हेडा के त्याग पत्र को स्वीकार किया जाकर अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के रिक्त पद का कार्यभार अग्रिम आदेशो तक संभागीय आयुक्त, अजमेर को दिया गया। राज्य सरकार के इन आदेशो की पालना मे अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा दिनांक 02.01.2019 को अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के रिक्त पद का कार्यग्रहण (Assume) किया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर मे अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के विरूद्ध दर्ज प्रकरणो मे सुनवाई का क्षेत्राधिकार पीठासीन अधिकारी के नाते संभागीय आयुक्त, अजमेर को होने से तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के साथ–साथ अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के पास अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के अध्यक्ष का कार्यभार होने के कारण ऐसी स्थिति मे अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के विरूद्ध दायर प्रकरणो मे सुनवाई किए जाने/नही किए जाने /अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने बाबत प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार से इस कार्यालय के पत्रांक 1176 दिनांक 31.01.2019 के द्वारा मार्ग दर्शन चाहा गया।

राजस्व विभाग के पत्रांक प–2(8)राज–1/2009 दिनांक 22.05.2019 (प्राप्ति दिनांक 27.06.2019) से प्राप्त मार्ग दर्शन एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर में आज दिवस तक विचाराधीन ऐसे सभी प्रकरण जो अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के विरूद्ध दायर हुए हैं एतत् द्वारा तुरन्त प्रभाव से जिला कलक्टर अजमेर को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाते है ।

भविष्य में भी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से संबंधित प्रस्तुत होने वाले नवीन प्रकरण जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किये जावेगें । यह आदेश आगामी आदेशों तक अथवा अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर का कार्यभार संभागीय आयुक्त अजमेर के पास रहने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये प्रभावी होगें । जिला कलक्टर अजमेर को स्थानान्तरित प्रकरणों की सूची संलग्न है ।

23.7.19

(लक्ष्मीनारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर।

क्रमांक : सम/ 7504-16 दिनांक : 24/07/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1– निबन्धक, राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर।
2– जिला कलक्टर, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि जरिये विशेष वाहक प्रकरणों की सूची अनुसार प्रकरण प्राप्त कर प्राप्ति रसीद भिजवावें ।
3– निजी सचिव/निजी सहायक, कार्यालय हाजा
4– प्रभारी अधिकारी, कोर्ट शाखा,/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय हाजा,
5– सचिव, राजस्व बार, राजस्व मण्डल अजमेर।
6– सचिव, जिला बार ऐसोशिऐशन, जिला एवं सत्र न्यायालय, परिसर, अजमेर
7– नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/राजस्व मण्डल/जिला एवं सत्र न्यायालय पर चस्पा हेतु।
8– रक्षित पत्रावली।

संभागीय आयुक्त,
अजमेर।

Scanned by CamScanner